दस रुपये TEN RUPEES

1

(154)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमाकं /2014 निगरानी R3259-III/14

एस. एल. ध्यावडाल
25/9/14

25-9-14

1- रामदयाल पुत्र स्व. श्री मंगी कुशवाह आयु- लगभग 40 वर्ष

2- नवल किशारे पुत्र स्व. श्री मंगी कुशवाह आयु- 36 वर्ष

3- राज किशोर पुत्र स्व. श्री सरमन कुशवाह आयु- 22 वर्ष समस्त निवासीगण वार्ड नं. 4 वेयर हाउस के पास चनदला रोड लवकुश नगर तहसील लवकुश नगर जिला छत्तरपुर म.प्र.

S. L. Dhyad Adv
24/9/14

-------निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1- कालीचरण पुत्र श्री पाटू कुशवाह आयु- लगभग 40 वर्ष निवासी वार्ड नं. 4 वेयर हाउस के पास चनदला रोड लवकुश नगर तहसील लवकुश नगर जिला छत्तरपुर म.प्र.

2- म.प्र. शासन

----गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 18/08/2014 पारित कार्यालय राजस्व निरीक्षक लव कुश नगर तहसील लव कुश नगर जिला छत्तरपुर म.प्र. के प्रकरण क्रमाकं 56/3-12/13-14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3259-तीन/2014 जिला छतरपुर रामदयाल विरूद्ध कालीचरण व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक लवकुश नगर के प्रकरण क्रमांक 56/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18-08-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 18.1.19 (आर.के. जैन) सदस्य	